आपराधिक प्र.क.: 85 / 2015

न्यायालय : न्यायिक मजिस्टेट् प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

<u>आपराधिक प्र.क.: 85 / 2015</u> संस्थित दि: 30 / 01 / 2015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर, अन्तर्गत चौकी डोरा, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — अभियोर्ग

विरुद

ओमप्रकाश पिता धनलाल मेश्राम, उम्र 28 साल, जाति महार, निवासी केशलेवाड़ा थाना हट्टा जिला बालाघाट (म.प्र.) ————————— आरोपी

-<u>ः उर्पापण - आदेश ः:</u>-

(आज दिनांक 13/02/2015 को उपार्पित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया मंतुराबाई ने दिनांक 09.03.2011 को चौकी डोरा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसकी नाबालिक लड़की गंगाबाई बिना बताये घर से दिनांक 07.03.2011 को चली गई है। फरियादिया की रिपोर्ट पर गुम ईंसान कमांक 08/11 कामय की जांकर जांच की गई। गुम इंसान की जांच पर पाया गया कि अपहता गंगाबाई पिता सुरपतसिंह तेकाम दिनांक 09. 03.2011 को बिना बताये घर से ची गई थी जो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिक गुमशुदा को बहला फुसलांकर ले जाने का आंदेशा होने पर पुलिस चौकी डोरा में अपराध कमांक 0/14 धारा 363 भा.दं.वि. की कायमी कर असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर में अपराध कमांक 03/14 धारा 363 भा.दं.वि. का कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पाया गया कि पीड़िता गंगा पिता सुरपतिसंह उर्फ सुरपिसंह को दिनांक 09.12. 2014 को दसत्याब किया गया तथा अपहृता का मुलाहजा कराया गया तथा साक्षियों के कथन लेख किये गये। प्रकरण सदर विवेचना पर पाया गया कि पीड़िता गंगा तेकाम घर से बिना बताये करीबन 17 साल की उम्र में नागपुर कमाने खाने चली गई थी, वही पर ओमप्रकाश पिता धनलाल मेश्राम से प्रेम संबंध हो गये। पीड़िता गंगा के साथ ओमप्रकाश

द्वारा 18 साल की कम उम्र में बहला फुसलाकर नागपुर ले जाकर शारीरीक संबंध बनाया तथा 18 साल की होने पर विवाह किया है। उक्त कृत्यु धारा 376(2) झ दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 तथा 4, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का पाया जाने से प्रकरण में ईजाफा किया गया। प्रकरण के आरोपी ओमप्रकाश मेश्राम के खिलाफ अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 25.12.2014 को गिरफ्तार कर एवं आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 376(2) झ दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 तथा 4, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- (03) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (04) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 376(2) झ दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 तथा 4, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाध गट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।
- (05) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गई।,
- (06) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।
- (07) प्रकरण में आरोपी जमानत पर होने से उसे माननीय न्यायालय के समक्ष आगामी दिनांक 10.03.2015 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया । आदेश मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट